

उपखण्ड अधिकारी
राजपनगढ़ (अजमेर)

7-12-23 पत्रावली पेश हुई वकील पार्थी अनुपस्थित।
वकील पार्थी उपस्थित। बार-बार आवाज दिलवाई
गई। बार-बार आवाज दिलवाने के बावजूद पार्थी
व वकील पार्थी में से कोई उपस्थित नहीं आता।
अदम टाजरी/अदम पैरवी में पार्थी का पार्थी-
पर स्वादिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से क्रम हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजपनगढ़ (अजमेर)

